केस सं० 226/2016-17 वर्ष .... रजिस्टर सं० ....
.... परगना .... मौजा सं०

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

अभिलेख वाद सं० 218/2016-17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश
15-4.24.	अभिलेख उपस्थापित । झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सह–पठित– श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म............) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा .... थाना नं0 183 खाता सं0 43 प्लॉट सं0 — रकबा 3.75 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म — अनाबाद बिहार /झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0........ के पृष्ट सं0 68/2 पर जमाबंदी रैयत .... महतो S/o .... महतो के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनकों कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक 01-6-2024 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।

11.6.24.

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि [illegible] उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में [illegible] ....समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 15.6.24. को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

15.6.24.

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा [illegible] मौजा नं० 183 खाता सं० 43 प्लॉट सं० — रकबा 3.75 किस्म गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि [illegible] 3.75 एकड़ [illegible] ...तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष..........तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं0..........को रद्द करने हेतु अनुशसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, पलामू को भेजें। लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

~~[illegible]~~ 218/16-17

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू, हुसैनाबाद

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
सुखी महतो पिता भगीरथ महतो	जोगाईडीह	183	42	–	3.75	गैरमजरुआ मालिक	पंजी II के कॉलम दर्ज नहीं होने के कारण किस्म नहीं दिया सका।

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– परती

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– पंजी II के दर्ज नहीं है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– चालू पंजी II के परीक्षण के लिए प्राधिकार कालम के दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :–
   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :–
   (ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :–

   पंजी II के परीक्षण के लिए प्राधिकार कालम में जमाबंदी कायम किए जाने का आधार दर्ज नहीं है।

   NA

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100 / –रूपये से कम या इससे अधिक) :– NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) दाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल कार्यालय में उपलब्ध भाग पंजी-II से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

महाशय, मौजा गोसाईडीह के खाता सं० 43 प्लॉट पंजी II में दर्ज नहीं रकबा 3.75 ए० का मांग कुश्मी महतो पिता भगीरथ महतो के नाम से पृष्ठ सं. 68/1 पर दर्ज है मांग पंजी II में प्लॉट दर्ज नहीं रहने के कारण भूमि का चिन्हित नहीं किया जा सका। भूमि गैरमजरूआ खास की है। मौ०क० भूमि प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज की मांग करने हेतु अंचल कार्यालय से नोटिस निर्गत किया गया अंचल कार्यालय में आवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भूमि प्राप्ति संबंधी कोई भी दस्तावेज नोटिस के उपरांत मांगपत्र/कागजात द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। गैरमजरूआ भूमि का मांग चलने का आधार एवं किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर पंजी II के परिवर्तन के लिए प्राधिकार आदेश दर्ज नहीं है। इसी स्थिति में यह मांग संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः BLR Act की धारा 4(h) की कार्रवाई की जा सकती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि-सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :–

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 01 पृष्ठ सं. 68 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
गोसाईडीह	183	43	–	3.75

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– पंजी II में दर्ज नहीं है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरूआ मालिक

5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नहीं है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदोबस्ती) :– दर्ज नहीं है।

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
:–
अंचल कार्यालय में उपलब्ध चालू पंजी II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	715701	02/04/1973	1972-73
02	592894	1975	1975-76
03	333830	1976	1976-77
	075502	1977	1977-78

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0..218......../ 2024-25 अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम..

....

....

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा............ थाना नं0.......
खाता सं0....53....... खेसरा नं0.......—....... रकबा.3.75....... से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0.......... के पंजी–II भाग .... के पृष्ठ 68/5.... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक07-6-2024.... को समय.11.00...... बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंस कर दी जायेगी।

इसे अत्यन्त तात्कालिक जाने।

29.5.24

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2024.06.27 11:17:49 +05:30
Location: 192.168.47.56